Witness No. .....18..... for अभियोजन साक्षी Deposition taken the 04–07–2025 Witness's apparent age: 47 Year States on affirmation शपथ पूर्वक My name is : डॉ मनोज कुमार सिंह My F/O name is : स्व०नंद कुमार सिंह occupation : चिकित्सा अधिकारी Address : जिला अस्पताल बिलासपुर छ०ग०

.....

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक,

1. मैं वर्ष 2019 से वर्तमान समय तक जिला अस्पताल बिलासपुर पदस्थ हूँ ।

2. मेरे जिला अस्पताल बिलासपुर मे पदस्थापना के कारण दिनांक 06.10.2021, समय 01.55 बजे थाना सिविल लाईन बिलासपुर के आरक्षक मथुरा प्रसाद साहू, क्रमांक 240 के द्वारा मृतक हरकुमारी भार्गव, पति अच्छेराम भार्गव, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम मझवापारा जरहाभाठा बिलासपुर का शव परीक्षण हेतु जिला अस्पताल बिलासपुर मे लाया गया शव परीक्षण के दौरान मृतिका मर्चुरी टेबल मे चित्त लेटाई गई थी, उसके दोनो हाथ फैले हुये थे, दोनो पैर घुटने से आधे मुडे हुये थे, मुह बंद था, दांत दिखाई दे रहे थे,जीभ मुह के अंदर था, दोनो आंखें बंद थी, शरीर मे अकडन विकसित होना शुरू हो गया था, खून के धब्बे मृतिका के चेहरे एवं गर्दन मे फैली हुई थी, शव परीक्षण के दौरान निम्नलिखित चोटे पायी गई –

चोट क्रमांक 1.– बायं तरफ भौव के उपर फटा हुआ चोट (लेसरेटेड वुंड)जिसका आकार 4 X 1 सेमी था, उसके अंदर की हड्डीयां दिखाई दे रही थी ।

चोट क्रमांक 2.– (लेसरेटेड वुंड) फटा हुआ चोट सिर के बांये तरफ माथे में था जिसका आकार 11X2X1 सेमी था ।

चोट क्रमांक 3.– फटा हुआ चोट बांये कनपटी के उपर (टेम्पोरल रिजन) जिसका आकार 5X2X7 सेमी था । घाव के अंदर की खोपडी फटी हुई थी एवं ब्रेन टीशु क्षतिग्रस्त थे ।

चोट क्रमांक 4.– फटा हुआ चोट बांये कान पर जिसका आकार 6X1X1 सेमी था ।

चोट क्रमांक 5.– फटा हुआ चोट बांये तरफ सिर के पिछले हिस्से में (ओसिपीटल) जिसका आकार 4X 2 सेमी था, चोट के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी तथा ब्रेन टीशु क्षतिग्रस्त थे ।

3. **शरीर का हाल**– मृतिका के शरीर की कदकाठी औसत था, शरीर मे बाह्य चोटे पूर्व में उल्लेखित कर दिया गया है ।

4. **कपाल एवं मेरूदंड** –कपाल के उपर आयी चोट क्रमांक 01 व 05 तक उल्लेखित किया गया है, जिसमें चोट क्रमांक 3, 5 में कपाल की अस्थीयां टूटी हुई थी एवं ब्रेन टीशु क्षतिग्रस्त थे।

5. **वक्ष**– पसली, पर्दा, कोमलस्व, फुसफुस, कंठ एवं स्वास नली स्वस्थ थी, दोनो फेफडे पेल थे । हृदय एवं वृहद वाहिका खाली थी ।

6. **उदर**– मुंह बंद था, नीचे दांत दिखाई दे रहा था, जीभ अंदर था, आंतो की झिल्ली एवं पर्दा स्वस्थ था, पेट में गहरा रंग का द्रव्य उपस्थित था, छोटी व बडी आंत खाली था, यकृत, प्लीहा एवं गुर्दा रक्त रहित (पेल)थे ।

7. **शरीर मे पायी गयी वस्तुओ का विवरण**– 1.मैक्सी गहरा पीला रंग का जिसमे खून के धब्बे उपस्थित थे । 2. ब्लाउज–गहरा काले रंग का ब्लाउज था । 3. चड्डी– गहरे नीला रंग का था । 4. दो लाल रंग के चूडा, एक लाल रंग का चूडी था । उपरोक्त सभी वस्तुए सीलबंद कर संबंधित पुलिस आरक्षक को सौप दिया गया था ।

8. **मृत्यु का कारण**– मेरे मतानुसार मृतिका की मृत्यु ब्रेन टीशु के क्षतिग्रस्त होने के कारण एवं कोमा के कारण हुयी है । मृतिका की मृत्यु 6 से 12 घंटे के पूर्व हुयी थी । शव परीक्षण की रिपोर्ट **प्र०पी०–1** है जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर है ।

9. दिनांक 08.11.2021 को थाना सिविल लाईन, जिला बिलासपुर के आरक्षक प्रहलाद सिंह ध्रुव क्रमांक 519 के द्वारा अपराध क्रमांक 1062/2021 धारा 302 भा०द०सं० मे सीलबंद पैकेट मेरे समक्ष लाया गया था जिसमें जप्तशुदा आलाजरब के क्वेरी कराने के संबंध में निम्न लिखित बिंदुओ **01.** जप्तशुदा लोहे के हथौडे से मृतिका की हत्या हो सकती है क्या ? **02.** जप्तशुदा लोहे के हथौडे मे लगा खून मृतिका की है या नहीं ? के संबंध मे अभिमत चाही गई थी । जिसके परीक्षण के दौरान एक लकडी लगा हुआ लोहे का हथौडा था, जिसके लोहे वाले

भाग का आकार 10X4.5 सेमी, परिधी 15 सेमी. तथा लकडी का लंबाई 24 सेमी, लकडी की परिधी 10 सेमी था । जिसमे लोहे व लकडी वाले भाग पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे । जिसके संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित अभिमत दिया गया– 1. मृतिका हरकुमारी भार्गव पति अच्छेराम , उम्र 41 वर्ष की महिला के पी०एम० उल्लेखित चोटें उपरोक्त हथौडे से आ सकती है । 2. उपरोक्त हथियार मे खून का धब्बा मृतिका का है कि नही जानने के लिये मेरे द्वारा रासायनिक परीक्षण की सलाह दी गई थी । उपरोक्त हथियार पुनः सीलबंद कर के संबंधित आरक्षक को सुपुर्द किया गया उक्त क्वेरी रिपोर्ट **प्र०पी०–32** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

10. उपरोक्त प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शो के क्वेरी कर नतीजो से अवगत कराने हेतु थाना प्रभारी सिविल लाईन द्वारा आरक्षक प्रहलाद ध्रुव के द्वारा पत्र सहित जप्तशुदा सीलबंद प्रदर्श प्राप्त हुआ था जिसमें जप्तशुदा प्रदर्शो मे मानवरक्त लगा है कि नही के संबंध मे क्वेरी कर नतीजे से अवगत कराने को कहा गया था । जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 25.12.2021 को समय 12.00 बजे सात सीलबंद पैकेट परीक्षण के लिये लाया गया था । जिसमे निम्नलिखित वस्तुए थी–**1**. एक न्यूज पेपर जिसमें गहरे भूरे रंग के स्पॉट थे, **2.** एक फूल लाईनिंग शर्ट जिसमे गहरे भूरे रंग के धब्बे थे, **3.** एक प्लास्टिक की बोरी जिसके एक तरफ बहुत सारे भूरे रंग के धब्बे थे, **4.** एक नग प्लास्टिक का डिब्बा जिसमे गहरे भूरे रंग के धब्बे थे, **5.** एक फूल पेंट जिसमे बहुत सारे भूरे रंग के धब्बे थे, **6.** एक नग पत्थर जिसमें बहुत सारे भूरे रंग के धब्बे थे, **7.** लाल रंग की चूडी तीन पीस जिसमें गहरे भूरे रंग के धब्बे थे । उपरोक्त समस्त वस्तुओं में उपस्थित गहरे भूरे धब्बो का रासायनिक परीक्षण की सलाह मेरे द्वारा दिया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उक्त धब्बे मानव रक्त है या नहीं ? उक्त क्वेरी रिपोर्ट **प्र०पी०–33** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उक्त समस्त प्रदर्शो को पुनः सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द किया गया ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विनय उपाध्याय डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल</u>

11. यह कहना गलत है कि मैं प्र०पी०–1 का अभिमत संभावना के आधार पर दिया हूँ । यह कहना गलत है कि जब कोई मोटर सायकल से दुर्घटना होने से मोटर सायकल से सिर के बल गिर जाये और उसके ब्रेन टीशु क्षतिग्रस्त हो तो मृतक को आई चोटे आ सकती है । यह कहना

गलत है कि आरक्षक प्रहलाद सिंह ध्रुव सीलबंद पैकेट को मेरे समक्ष लेकर नही आया था । यह कहना सही है कि क्वेरी हेतु सीलबंद पैकेट मे क्या मार्का चिन्ह का उल्लेख था प्र०पी०–33 में उल्लेख नहीं है ।

12. यह कहना सही है कि मैने जप्तशुदा प्रदर्शो में मानव रक्त है कि नही का भौतिक परीक्षण कर रासायनिक जांच की सलाह दी थी । साक्षी स्वतः कहा कि रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा था । यह कहना सही है कि जप्तशुदा हथौडा में मानवरक्त है अथवा नही इस संबंध मे मैने जांच नही किया था, साक्षी स्वतः कहॉ कि भौतिक जांच किया था और रासायनिक परीक्षण हेतु सलाह दिया था ।

13. यह कहना सही है कि शव परीक्षण के लिये जब थाना प्रभारी के लिये ज्ञापन भेजा जाता है तब उसपर प्रकरण के संबंध मे संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । यह कहना गलत है कि मै बिना पी०एम० किये ही पी०एम० आवेदन में दिये संक्षिप्त विवरण के आधार पर शव परीक्षण रिपोर्ट अपने मन से तैयार किया हूॅ । यह कहना गलत है कि जप्तशुदा प्रदर्शो को सीलबंद कर आरक्षक के सुपुर्द करने के संबंध मे कोई पावती नही ली गई थी । यह कहना सही है कि पुलिस वाले मृतिका का रक्त समुह किस ग्रुप का है की जानकारी मुझसे नही मांगे थे ।

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(आदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/–

(अदित्य जोशी)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

साक्षी के हस्ताक्षर .....